

योजना का नाम

प्रसूति आर्थिक
सहायता

लाभ

रु0 6 हजार प्रति पुत्र
/पुत्री (लेकिन यह
केवल दो पुत्र/पुत्री
हेतु ही है।)

पात्रता/लाभार्थी

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण
बोर्ड में पंजीकृत निर्माण
श्रमिक की पुत्र/पुत्री
(केवल 2) हेतु
प्रसूतावस्था वाली निर्माण
श्रमिक।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया

आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, ए0एन0सी0 कार्ड तथा प्रसूति के संबंध में चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न लेने का, स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र तथा स्वघोषणा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन प्रसूति की तारीख से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। यह सुविधा 02 बच्चों के जन्म पर ही दी जाती है 3 बच्चे के जन्म पर यह सुविधा नहीं दी जायेगी। आवेदन के उपरांत विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में धनराशि का भुगतान किया जाता है।